

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0 बस्ती

पत्रांक
प्रवा में

५३१/८८२५-२०१९/३१

दिनांक- 10/08/19

प्रभारी अधिकारी (आयुध)
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट
बस्ती।

विषय:- तहसील बस्ती जनपद बस्ती के एस0एच0 26 पर, किमी0 स्टोन नं0- 395 एवं 398 के बीच (बस्ती डुमरियागंज रोड) पर स्थित ग्राम मलपुरवा परगना रसूलपुर तहसील भानपुर के खसरा संख्या- 77, 78क, 79, 80, 81 में न्यू रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-2(4)/आ0लि0 दिनांक -03.08.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय जनपद गोरखपुर द्वारा तहसील बस्ती जनपद बस्ती के एस0एच0 26 पर, किमी0 स्टोन नं0- 395 एवं 398 के बीच (बस्ती डुमरियागंज रोड) पर स्थित ग्राम मलपुरवा परगना रसूलपुर तहसील भानपुर के खसरा संख्या- 77, 78क, 79, 80, 81 में न्यू रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु निर्माण के लिए निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

- 1- यह कि उक्त भूमि के नवैयत तथा वस्तुस्थिति का सत्यापन प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी, बस्ती सदर, बस्ती द्वारा होना आवश्यक है।
- 2- यह कि मार्ग पर आउटलेट की स्थापना हेतु सड़क के समानान्तर भूमि की चौड़ाई (फ्रन्टेज) कम से कम 35 मी0 होना चाहिए।
- 3- सुरक्षा के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग से जांच आख्या ली जानी चाहिए।
- 4- यह कि पेट्रोल पम्प की नींव की ऊंचाई प्रत्येक दशा में मार्ग की ऊंचाई से 30 सेंटीमी0 नीची होनी चाहिए।
- 5- यह कि पेट्रोल पम्प का निर्माण सड़क के मध्य से 80 फीट (5 फिट सेट बैक साइड) दूर होना चाहिए।
- 6- यह कि पानी का निकास सड़क पर नहीं होना चाहिए, जिसके लिए ह्यूप पाइप कलवर्ट, नाली आदि कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।
- 7- यह कि पेट्रोल पम्प मालिक द्वारा निर्माण के समय यदि कोई सामग्री सड़क पर आती है, जो उसका डैमरेज चार्ज अलग से फर्म द्वारा देय होगा।
- 8- यह कि पेट्रोल पम्प के कारण मार्ग पर कोई यातायात अवरोध नहीं होना चाहिए तथा पेट्रोल पम्प के द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।
- 9- पेट्रोल पम्प निर्माण आई0आर0सी0-12 के अधीन निर्मित होना चाहिए। जिसके अन्तर्गत आगमन व बहिर्गमन की त्रिज्या 13 मी0 तथा बफर स्ट्रीप्स की लम्बाई 03 मी0 आवश्यक है।
- 10- कोई विवाद उत्पन्न होने पर समस्त मामले न्यायालय द्वारा निस्तारित होंगे, उक्त मार्ग के सम्बन्ध में कोई भी नयी राजाज्ञा होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं ही निरस्त माना जायेगा।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- प्रस्तावित मानचित्र 1 अदद (मूल में)

Vikas Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney
10/10/19

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0 बस्ती
10/08/19

